

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर

बाबूलाल बनाम रामलाल

मुकदमा संख्या/वर्ष 54/2018 ए.नं. 70/2018 / 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
--------	---------------------------	----------------------

21/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील अमरपदम ठाकुर  
 वाले वरुण प्रसाद 08 R 9442 के डि  
 26/7/24 को पेश वे  
 उपखण्ड अधिकारी  
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

26/7/24 पत्रावली पेश हुई। प्राची व वकील प्राची उग्र  
 नहीं। वक्त अदालत प्राची व उनके अधिवक्ता  
 को बार-बार आवाज लगाई गई। प्राची व  
 उनके अधिवक्ता की ओर से कोई भी जस्टिस  
 नहीं होने से प्राची व प्राची अमर पदम  
 अमर पदम में हारिल किया जाता है।  
 पत्रावली फंसल मुगल हो, दर्ज नम्बर 6  
 3म होकर, बाद तकनीक शकिल दफ्त है

उपखण्ड अधिकारी  
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

